न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

वाद संख्या :– 161/2025

उनवान

1.राकेश कुमार पुत्र हजारीलाल, जाति मीणा निवासी अमरसर तहसील –शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार(भूधारक) जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर(राज)
2. करण पुत्र घनश्याम
3 कृष्णा देवी पुत्री घनश्याम
4.तनुजा पुत्र घनश्याम
5.रामगोपाल पुत्र भैरूलाल
6.संतोष देवी पुत्री भैरूलाल
7.हंसा देवी पत्नि घनश्याम
8.हितेश पुत्र घनश्याम
9.रामजीलाल पुत्र लच्छु
10.कैलाश पुत्र लच्छु
11. सुखवेन्द्र पुत्र पांचू
12.सुधीर कुमार पुत्र पांचू
13.सुनिता मीणा पुत्री पांचू
14.शंकरलाल पुत्र दुर्गा प्रसाद

समस्त जाति मीणा निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 27/5/26

उपस्थितः– प्रार्थीया अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद यादव

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि हाल आराजी के हाल खसरा नं0–1670/806, रकबा 0.4610 हैक्टर, खं.नं. 873 रकबा 0.9000 कुल किता–2 कुल रकबा 1.3610 हैक्टर भूमि वाकै ग्राम पठानो का बास पटवार हल्का अमरसर भू0 अभि0 क्षेत्र अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है उक्त भूमि में प्रार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकित हैं।प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त व अपने उपयोग–उपभोग में लेते आ रहा हैं। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा0 14 की भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगती हुई होने के कारण सींव डौल का विवाद करते रहते हैं इस कारण प्रार्थी ने अपनी भूमि का दिनांक 23.06.25 को उपतहसीलदार अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के आदेश कमांक/सीमाज्ञान/भू.अ./2025/930 दिनांक12.06.2025 के द्वारा प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान पटवार हल्का अमरसर भू0अ0 निरीक्षक अमरसर व मौके पर उपस्थित खातेदारों की मौजूदगी में किया गया जिसमें प्रार्थी अपनी भूमि की सीमा तक हाल आबाद काबिज काश्त हैं । उक्त सीमाज्ञान कराने के बाद

प्रार्थी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की स्थायी सीमा चिन्ह(पत्थरगढी)करवाया जाना आवश्यक हो गया हैं ।प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने के बावजूद प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी के पास स्थित भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा0 14 द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि की सीमाओ पर सींव,डोल आदि का विवाद करते रहते हैं एवं भूमि की सीमाओं को काटने पर आमादा रहते हैं ।इस कारण प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के आधार पर अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता हैं ।

प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र पेश होने पर रिर्पोट सरिस्ता ली जाकर तथा प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 14 को नोटिस जारी किया गया नोटिस तामील होने के बावजूद अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 14 अनु0 ना ही कोई जवाब पेश किया हैं जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया गया अंतिम अवसर देने के बावजूद अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 14 अनु0 ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं ।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया वकील प्रार्थी को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सीवडोल काटने से आये दिन होने वाले विवादो की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार हैं। तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद,सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचाव का यह एक उपाय है।जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमाचिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नही कर सकते हैं।मौके पर सीमाज्ञान होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि हाल आराजी के खसरा नं0– नं0–1670/806, रकबा 0.4610 हैक्टर, खं.नं. 873 रकबा 0.9000 कुल किता–2 कुल रकबा 1.3610 हैक्टर भूमि वाकै ग्राम पठानो का बास ,पटवार हल्का अमरसर भू0 अभि0 क्षेत्र अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुये एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुये उनकी उपस्थिति के मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2025 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिया जाता है । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/5/26 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)